/

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 306/2025

चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– फर्स्ट फ्लोर, डेरे हाउस नं0 2, एस0एस0सी0, बोस रोड़, पैरी, चेन्नई–600001 एवं शाखा कार्यालय 5वीं, 6 वीं मंजिल, प्लाट नम्बर 306, 308, 309, गेम्स डिफेन्स कालोनी, वैशाल नगर, जयपुर, पिन कोड 302021

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी बस स्टेण्ड, ग्राम डुलानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू पिन कोड 333031, राजस्थान।
   अन्य पताः– श्री पवन कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी प्लाट नम्बर 10, खसरा नम्बर 3554, नजदीक गुढा रेलवे फाटक, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनू पिन कोड 333001, राजस्थान।
2. श्रीमती राज बाला पत्नि पवन कुमार, निवासी बस स्टेण्ड, ग्राम डुलानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू पिन कोड 333031, राजस्थान।
   अन्य पताः– श्रीमती राज बाला पत्नि पवन कुमार, निवासी प्लाट नम्बर 10, खसरा नम्बर 3554, नजदीक गुढा रेलवे फाटक, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनू पिन कोड 333001, राजस्थान।
3. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी बस स्टेण्ड, ग्राम डुलानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू पिन कोड 333031, राजस्थान।
   अन्य पताः– श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी प्लाट नम्बर 10, खसरा नम्बर 3554, नजदीक गुढा रेलवे फाटक, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनू पिन कोड 333001, राजस्थान।

–– ऋणी/अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 एतद् पश्चात ''एक्ट'' से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

–––

उपस्थितः–
एडवोकेट श्री कंचनसिंह चौधरी– प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 21.08.2025

प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी से ऋण के लिए आवेदन करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये ऋण अनुबन्ध खाता संख्या LAP1SGH000092597 दिनांकित 29.08.2023 के जरिये अप्रार्थीगण को 15,50,000/– रूपये (शब्देन पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये) का ऋण स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण की अदायगी अप्रार्थीगण को नियमित मासिक किश्तों मे करनी थी। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी कम्पनी के पक्ष मे गिरवीकृत किया। उक्त सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित है:–

क0स0	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1	पताः– प्लाट नम्बर 10, खसरा नम्बर 3554 का भाग, गुढा रेलवे फाटक के पास, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनू पिन कोड 333001, राजस्थान चर्तुसीमायें:– पूर्वः– अन्य भूमि पश्चिमः– रास्ता 18 फीट चौडा उत्तरः– प्लाट नं0 9 दक्षिणः– प्लाट नं0 11

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान मे व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति (एन0पी0ए0) दिनांक 15.04.2025 मे वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थी के ऋण खाते मे बकाया राशि ऋण अनुबन्ध खाता संख्या LAP1SGH000092597 मे 20,06,565/– रूपये (शब्देन बीस लाख छः हजार पांच सौ पैंसठ रूपये) दिनांक 16.04.2025 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 18.04.2025 अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया जो कि अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। नोटिस प्राप्ति के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा ना तो देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को किया गया एवं ना ही नोटिस का जबाब दिया गया। उक्त नोटिस बंधक सम्पत्ति पर चस्पा किया गया था। उक्त नोटिस का प्रकाशन हिन्दी एवं अग्रेजी के दैनिक अखबार मे दिनांक 24.04.2025 को कराया गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस का अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही किया ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की। अप्रार्थी द्वारा 13(2) नोटिस दिनांकित 18.04.2025 के विरूद्व कोई ऐतराज/जबाब प्राप्त नही हुआ है। अप्राथीर्गण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी को नही किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 मे वर्णित सिक्यरिटी रहनुशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों जिनका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 मे दिया गया है का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अथवा उपरोक्त मद संख्या 2 मे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द किये जाने हेतु अधिवक्ता कमीश्नर नियुक्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अधिवक्ता कमीश्नर द्वारा उक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधित पुलिस थाने/पुलिस उपायुक्त/पुलिस कमीश्नर को आवश्यक पुलिस इमदाद मुहैया कराये जाने हेतु निर्देशित कियया जावे। अन्य कोई आदेश जो प्रार्थी के हक मे हो दिलाये जाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थीगण अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अचल सम्पति प्लाट नम्बर 10, खसरा नम्बर 3554 का भाग, गुढा रेलवे फाटक के पास, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनू पिन कोड 333001, राजस्थान है का पजेशन प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं